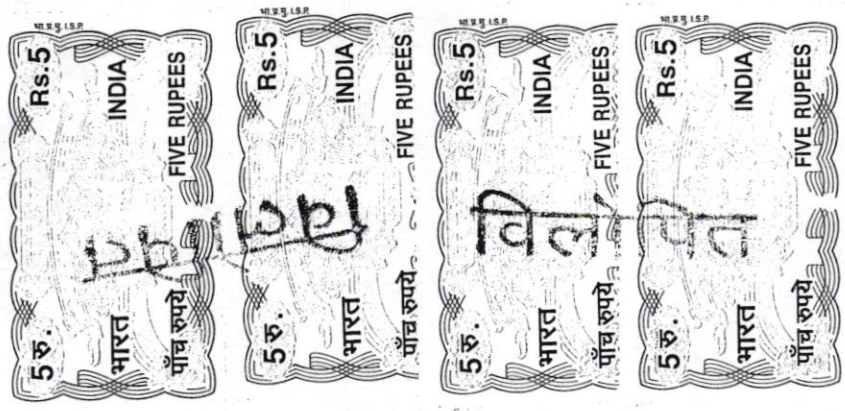

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये (×4)

विलोपित

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी   नि.प्र - 3367 - II/16

अशोक पुत्र तखता जाटव निवासी ग्राम छेवलाई तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

——आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीराम पुत्र नन्नूलाल
2. नारायणसिंह पुत्र रामसिह
3. नन्नू पुत्र बल्लू
   निवासीगण ग्राम छेवलाई तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

——अनावेदकगण

श्री एस.पी. धाकड़ एड. द्वारा आज दि 29-09-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

29-9-16

29.9.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 528/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2012 के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 21.08.2016 से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम छेवलाई तह. मुगावली जिला अशोकनगर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र. 206/1(क) रकवा 1.00 है. के संबंध में नायव तहसीलदार मुगावली के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि बंटन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण कं. 94/2001–02/अ–19 पर दर्ज किया जाकर विधिवत प्रकाशन किया गया आपत्तियां आहुत की गई, समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त कर विधिवत नियमो का पालन करते हुये आवेदक के हित में आदेश दिनांक 31.07.2002 से भूमि बटंन के आदेश पारित किये गये।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3367–दो/06 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
18.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित होकर ग्राह्यता एवं धारा–5 के आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 528/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 2.11.2012 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम छेवलाई तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर में स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 206/1(क) रकवा 1.00 है0 के संबंध में नायब तहसीलदार मुंगावली के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि बंटन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा आपत्तियां आदि बुलाने हेतु प्रकाशन किया नियत समय में आपत्ति न आने के कारण उनके द्वारा आदेश दिनांक 31.7.02 पारित किया गया। जिससे परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील प्रस्तुत की	

गई जो उनके द्वारा 29.12.06 स्वीकार की गई जिससे परिवेदित होकर अशोक कुमार द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका (4) में यह प्रावधानित है कि परिपत्र के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील का प्रावधान निहित नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 2.11.2012 को समाप्त कर दी गई है इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को जो पटट्ा दिया गया था उसकी विधिवत जांच कर प्रकरण कायम कर उक्त भूमि का पटट्ा प्रदाय किया गया था। उक्त भूमि पर आवेदक 2002 से काबिज है लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का पटट्ा निरस्त कर भूमि शासकीय कर दी गई है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा अधिकारिता रहित आदेश पारित कर वैधानिक भूल की है। अंत में उनके द्वारा तर्क किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकारकी जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी आवेदक अधिवक्ता द्वारा लगभग 3 वर्ष 11 माह पश्चात इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके। समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधान कारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक एवं उसके अधिवक्ता विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके। अधिवक्ता द्वारा पक्षकार को प्रकरण की अद्वतन स्थिति न बताने का तथ्य विलंब क्षमा किये जाने हेतु बताया गया। अधिवक्ता की ओर से कोई अभिवचन पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं –अन्य ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज समर्थन में प्रस्तुत नहीं– विलंब क्षमा हेतु पुष्टिकरण के अभाव में ऐसा आधार मान्य नहीं।

1– भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 –धारा –5 कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जाचं का प्रयास नहीं किया जाना–विलंब के लिये मांफी के संदर्भ में सदभाविक

नहीं कहा जा सकता । लंगरी बनाम छोटा 1192 रा0 नि0 289 जै0एल0जे0 69 पर अविलम्बित।

2– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत–अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अधिवक्ता के अभिज्ञान में है–आदेश नियत दिनांक को अधिवक्ता ने टीप नहीं किया–आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी।

3– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–47 अनुचित विलंब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

5– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आवेदक की निगरानी अवधि वाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में भेजी जावे।

सदस्य